

2021/629

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

आज अदालत: डी.एम.एस. कोर्ट मुकाम पुलगा

सावकीर नंबर १० मेसरास बनाम मेसरास एच.एम.एस.

किस्त मुकदमा राज्य नॉड ३, ४, १४४ रु. सं. ३३२/२१ सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>21/12/21</p> <p>अज यह वाद वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अ./घारा ३, ४, १४४ रु. के अर्ज हो प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। मिसल दिनांक: 15/2/22 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर डी.एम.एस.</p> <p>15/2/22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अवकाश, अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 16/2/22 को पेश हो।</p> <p>16/2/22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अवकाश, अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 21/2/22 को पेश हो।</p> <p><u>21/2/22</u> वकालत उपर उल्लिखित क्र. 4, 6, 7, 11, 15 की तहसिल से पत्रावली पेश हुई। नमूने वकालत की डिप्लॉम जारी शेष उल्लिखित क्र. की तहसिल से पत्रावली दिनांक 24/2/22 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>24/2/22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर प्रतिवादी संख्या - 1 ता 3, 5, 8 ता 10, 12 ता 14 व 16 के सम्मन नामील/अदम नामील प्राप्त नहीं हुए हैं ईन्तजार होकर पत्रावली वास्ते तहसिली दिनांक 10/3/22 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	



26/9/24
पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधार है।
मिसल दिनांक 24/9/24 को पेश हो।

24/12/24
पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधार है।
मिसल दिनांक 17/12/24 को पेश हो।

17/2/25
पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधार है।
मिसल दिनांक 4/4/25 को पेश हो।

4/4/25
पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधार है।
मिसल दिनांक 16/5/25 को पेश हो।

16/5/25
पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधार है।
मिसल दिनांक 21/8/25 को पेश हो।

21/8/25
पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधार है।
मिसल दिनांक 17/11/25 को पेश हो।

17/11/25
पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधार है।
मिसल दिनांक 16/11/26 को पेश हो।

16-01-26

पत्रावली पेश हुई। वकील वारी रु3।
बार-बार आवान लगाने के बावजूद वारी व वकील वारी के
उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली रुद्ध पेश की रुद्ध हाथी
में खारिज की जाती है। पत्रावली फिलहाल रुद्ध होकर रुद्ध
से रुद्ध है।

Wras
उपखण्ड अधिकारी
डी.डी.पाना